

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2,
तुलसीपुर, बलरामपुर।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन्य जीव प्रभाग,
सोहगी बरवा, महाराजगंज।

पत्रांक- 349/रा0न0नि0ख0-2,तु0ब0/

दिनांक 01.05.2020

विषय:- कैम्पियरगंज शाखा के कि0मी0 51.000 से 62.106 के मध्य वनभूमि से आच्छादित भूमि के हस्तानान्तरण हेतु प्रपोजल संख्या-FP/UP/canal/44512/2020के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 5663/31-1/दिनांक 24.04.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र अवलोकन करने की कृपा करें, जिसमें आप द्वारा बिन्दु संख्या-01 से बिन्दु संख्या-03 के माध्यम से आपत्ति प्रेषित की गयी है। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित आपत्तियों का उत्तरालेख निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है:-

बिन्दु संख्या-01:- अवगत कराना है कि सोहगी बरवा वन्य जीव प्रभाग के बाउण्ड्री के जी0पी0एस0 लोकेशन के सम्बन्ध में सही स्थिति ज्ञात न होने के कारण सही दूरी ज्ञात नहीं हो पायी जिसके कारण अधोहस्ताक्षरी को यह ज्ञात हुआ कि आच्छादित वनभूमि 1 किमी0 की परिधि के बाहर है। जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि दोनो क्षेत्र Eco-Sentive-Zone के अंतर्गत है, अतः उक्त के Wildlife clearance हेतु प्रस्ताव सबमिट करने की कार्यवाही की जा रही है।

बिन्दु संख्या-02:- मक डिस्पोजल प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि नहर निर्माण हेतु निकाली गयी मिट्टी का प्रयोग उसी स्थल पर ही किया जायेगा। प्रमाण-पत्र में भाषा त्रुटिपूर्ण हो गयी है, इसे संशोधित करने के उपरान्त दूसरा प्रमाण-पत्र आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु संख्या-03:- लैण्ड डायवर्जन में प्रयुक्त भूमि 0.40 हे0 के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आच्छादित भूमि के समीप ही वन विभाग से सटी हुई भूमि विभाग के पास उपलब्ध है, जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, आवश्यकता होने पर उसे उपलब्ध करा दिया जायेगा (भूमि का विवरण संलग्न)।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अधिकासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2,
तुलसीपुर, बलरामपुर

पत्रांक /रा0न0नि0ख0-2तु0ब0/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2 बस्ती।
- 2- सहायक अभियन्ता-चतुर्थ राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर बलरामपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

अधिकासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2,
तुलसीपुर, बलरामपुर

मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2 तुलसीपुर, बलरामपुर द्वारा सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कैम्पियरगंज शाखा के किमी0 51.00 से 62.106 के मध्य में नहर निर्माण का कार्य जनपद – महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित नहर निर्माण हेतु मक डिस्पोजल योजना के संबंध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2 तुलसीपुर, बलरामपुर द्वारा सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कैम्पियरगंज शाखा के किमी0 51.00 से 62.106 के मध्य में नहर निर्माण का कार्य जनपद –महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) में प्रभावित होने वाली 0.4 हे0 आरक्षित वन भूमि में नहर निर्माण हेतु मिट्टी जो निकाली जायेगी उसका प्रयोग उसी स्थल पर नहर निर्माण में प्रयोग कर लिया जायेगा। अतः प्रस्तावित परियोजना हेतु मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नहीं है।

Disposal/Management Plan

While preparing FCA case, if there is any activity in the project which involves digging of land, muck disposal/management plan has to be prepared.

Should include :-

1. Calculation of muck to be generated self factor has to be applied N.A.
2. Quantity of muck to utilized in the project activities N.A.
3. Balance quantity of muck. Which requires disposal/management plan ? N.A.
4. Carriage of muck from the muck generation site in the dumping site. N.A.
5. Ownership of land and the consent of land owner, in case muck disposal on non forest land. N.A.
6. Photograph & carrying capacity of proposed dumping site (muck disposal site) N.A.
7. Development of dumping site-construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck. N.A.
8. Rehabilitation of dumping site like levelling planting of grass, shrubs and tree species. N.A.

After construction work of approach road will be done

Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Details of dumping site including length, width and height of structures to be exacted must be mentioned.

Undertaking by the user agency has to be given to the effect that :

- 1- Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the plan, they will be liable to penalty/action at their cost.
- 2- The proposed dumping site is located away from river/stream/nala.
- 3-



(संतोष कुमार)
अधिशायी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2
तुलसीपुर, बलरामपुर